



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

MAHARSHI SANDIPANI RASHTRIYA VEDAVIDYA PRATISHTHAN
(Under Ministry of Education, Govt. of India)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN - 456006 (M.P.)

पत्र सं. 17-3/2019(प्र.वि.)/मसारावेविप्र/


दिनांक 14-10-2020

कार्यालय आदेश

विषय :- कोविड-19 की अनलॉक प्रक्रिया के अन्तर्गत वेद विद्यालय /इकाई को पुनः खोलने की व्यवस्था सूचना हेतु प्रपत्र ।

भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा 05-10-2020 को कोविड-19 की अनलॉक प्रक्रिया के अन्तर्गत विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में मानक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। प्रतिष्ठान संबद्ध वेद विद्यालय , गुरुशिष्य इकाई एवं छात्रावास के लिये मानक दिशा निर्देश का अनुपालन की पूर्ण समीक्षा करने के उपरान्त ही विद्यालय एवं छात्रावास खोलने के विषय में, छात्रों को विद्यालय में बुलाने के विषय में अलग से आदेश जारी करने के बारे में निर्देश दिया गया था। विद्यालय प्रबन्धकों/गुरुओं /छात्रावास अधिष्ठाताओं को निर्देश है कि मानक दिशा निर्देश में उल्लिखित बिन्दुओं को सूक्ष्मता से अनुसन्धान कर लें जिससे भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश का पूरा पालन किया जाय।

(1) व्यवस्था के बारे में भरा हुआ प्रपत्र एवं सूची (2) निर्देश का पूरा पालन करने का प्रबन्धकों/गुरुओं से आश्वासन एवं (3) प्रत्येक अभिभावक का सहमति पत्र के साथ प्रतिष्ठान में आनलाईन प्राप्त होने पर वेद विद्यालय /इकाई में छात्रों के साक्षात् नियमित अध्यापन-अध्ययन एवं छात्रावास में रहने के विषय में एवं छात्रों को अध्यापन-अध्ययन हेतु विद्यालय में बुलाने के विषय में अलग से आदेश जारी होगा। इस हेतु उपर्युक्त 1, 2, एवं 3 अभिलेखों को प्रतिष्ठान में आनलाईन भेजें। व्यवस्था के बारे में प्रपत्र संलग्न है।


(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

प्रतिलिपि:-

1. सचिव जी के निजी सचिव, म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन।
2. परामर्शदाता (वित्त) म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन।
3. परामर्शदाता (प्र) म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन।
4. अनुभाग अधिकारी (प्र.), म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन।
5. कार्यालय आदेश मिसिल।
6. सम्बन्धित नस्ती।

प्र. वेब-साइट, ई-मेल से

PROFORMA for furnishing information on the COVID-19 safety arrangements made by the Veda Pathashala / Guru Shishya Parampara Unit before re-opening, in compliance of Ministry of Education, Govt of India's SOP/Instructions

1.	Name and Complete address of Vedavidyalaya/ Guru Shishya Unit वेदविद्यालय / इकाई का नाम एवं पूर्ण पता	
2.	Address of Residential arrangement for Students/ Address of Hostel for all students admitted / छात्रों का आवासीय व्यवस्था	
3.	No. of Students in Veda Pathashala / Guru Shishya Unit / वेदविद्यालय / इकाई में उपस्थित छात्र संख्या	
4.	No. of students in Hostels (Enclose Names' list) / वेदविद्यालय छात्रावास में / इकाई में आवासीय छात्र संख्या (Enclose list) अध्यापन-अध्ययन अध्यापन-अध्ययन अध्यापन-अध्ययन	
5.	Consent Letter from each parent for student's presence in class-room / residence in Hostels (Enclose list) / प्रत्येक अभिभावक की स्वीकृति- नत्थी करें (Enclose list)	

1.	Arrangements Made	Yes	No
2.	Two Masks for each student and ensure wearing of mask		
3.	Thermal scanning and health check of each student		
4.	Social distancing in class room, hostel and other places		
5.	Arrangement for daily sanitization of hostel and Vidyalaya/GSP Unit		
6.	Arrangement for daily sanitization of class room in Vidyalaya/GSP Unit		
7.	Neatness and cleanliness in Vidyalaya/GSP Unit		
8.	Proper hygienic food preparation; mask and other safety measures by cook, cleaning staff etc		
9.	Availability of hot / warm drinking water for all in class room and hostel		
10.	Medical and other emergency arrangements made		
11.	Duty allotment for overseeing arrangements on daily basis		

Note: The above list of measures is only illustrative, not exhaustive. These are only the main and most essential measures to be reported to the Pratishthan. It will be the responsibility of the Management of Veda Pathashalas and Gurus of the GSP Units to ensure compliance of all the guidelines and advisories of the Govt. of India and the local authorities.

SIGNATURE OF THE CHAIRMAN/ SECRETARY /MANAGER OF THE SOCIETY OF VEDA PATHASHALA OR GURU OF THE GSP UNIT.